अत्यावश्यक

पत्रांक –1–प्रा0आ0(2)–24 / 2006 / ..... / आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार

पटना–15 दिनांक–

विषय : अग्निकांड होने पर जिला प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि ग्रीष्मकाल प्रारंभ हो गया है। ग्रीष्मकाल में राज्य के विभिन्न जिलों में अग्निकांड की संभावना काफी बढ़ जाती है। अग्निकांड की घटनाएँ होने पर जिला प्रशासन द्वारा त्वरित गति से पीड़ितों को साहाय्य प्रदान करने अपेक्षा की जाती है। इस संदर्भ में विभागीय पत्रों के माध्यम से जिलों को समय–समय की पर व्यापक अनुदेश/निदेश दिये गए हैं।

इस संदर्भ में पूर्व निर्गत विभागीय निदेशों के आलोक में अग्निकांड की घटना घटित होने पर त्वरित गति से आवश्यक कार्रवाई कर पीड़ितों को साहाय्य मुहैया कराया जाना है। अग्निकांड की घटना घटित होने पर 24 घंटे के अन्दर राहत मुहैया कराना सुनिश्चित किया जाना है तथा घटनास्थल पर चलाए जा रहे राहत कार्य के पर्यवेक्षण हेतु जिला/अनुमंडल स्तर के पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जाना है। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी अपनी उपस्थिति में अग्निकांड से प्रभावित घरों का पूर्ण विवरण तैयार कर नियमानुसार गृह अनुदान की स्वीकृति एवं भुगतान हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अग्निकांड के कारण घायल अथवा मृत्यु होने पर घायलों अथवा मृतक के निकटतम आश्रितों को नियमानुसार अनुदान भुगतान की स्वीकृति एवं कार्रवाई की जाएगी। इस हेतु अन्य बातों के अतिरिक्त निम्नांकित मुख्य बिन्दुओं पर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है :–

(क) गर्मी के मौसम के प्रारंभ में ही आगजनी की घटनाओं को रोकने एवं घटना घटित होने पर साहाय्य प्रदान करने के लिए पूर्व तैयारियाँ अविलम्ब पूरी कर ली जाय।

(ख) **जिला मुख्यालय स्तर पर अग्निकांड से संबंधित घटनाओं के पर्यवेक्षण एवं साहाय्य कार्य के अनुश्रवण हेतु एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाय। उक्त नियंत्रण कक्ष का प्रभार किसी वरीय पदाधिकारी को दिया जाय। साथ हीं उक्त नियंत्रण कक्ष में दूरभाष की व्यवस्था भी की जाय एवं समाचार पत्रों के माध्यम से उक्त दूरभाष संख्या की जानकारी सभी को दी जाय।**

(ग) फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की आवश्यकतानुसार मरम्मति अविलम्ब करा ली जाय। जहाँ चालक आदि की समस्या है, स्थानीय व्यवस्था द्वारा इसे दूर कर लिया जाय।

(घ) आवश्यकता के समय फायर ब्रिगेड की गाडियाँ सुदूर देहातों में समय पर पहुँच सके, इसके लिए यथासंभव अनुमंडल मुख्यालयों में भी गाड़ियों को रखने की व्यवस्था की जाय, खासकर जहॉ के क्षेत्रों का रास्ता दुर्गम हो।

(ड़) आगजनी की घटनाओं की निरोधात्मक कार्रवाई के संदर्भ में जिलाधिकारी अपने अधीनस्थ अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश देना चाहेंगे कि वे अपने क्षेत्र में अग्निकांड की रोकथाम हेतु प्रचार–प्रसार के माध्यम से सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गए सुझावों के अनुरूप लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे। विभिन्न स्तर पर जागरूकता पैदा करने हेतु आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम के तहत गठित जिला/प्रखंड/ग्राम पंचायत/ग्राम स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति को क्रियाशील किया जाय।

जिला पदाधिकारी निरोधात्मक कार्यवाही के संदर्भ में अपने जिला क्षेत्र में निम्नलिखित तथ्यों को प्रचारित /प्रसारित करावें :–

(i) गॉव में हवा के झोंकों के तेज होने से सुबह तक खाना पकाकर आग को पूरी तरह पानी से बुझा दें।

(ii) आग चिंगारी पूरी तरह बुझा दी जाय।

(iii) खाना वैसी जगह पकाया जाय, जहाँ हवा का झोंका न लगे।

(iv) बीड़ी–सिगरेट पीकर इधर–उधर या खलिहान की तरफ न फेंकें।

(v) जल एवं बालू संग्रहण की व्यवस्था रखी जाय ताकि आग पर शीघ्र काबू पाया जा सके।

(vi) आगजनी से बचाव हेतु उपाय 'क्या करें–क्या न करें' को प्रभावी कराया जाय। (संलग्न है।)

(च) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 'फायर बूथों की स्थापना लाभप्रद सिद्ध हो सकती है। प्रत्येक गाँव में 'फायर बीटर्स', फायर टेंक, बाल्टी, रस्सी एवं कुल्हाड़ी आदि छोटे–छोटे अग्निशमन उपकरण एवं एक घंटी (आग की सूचना के लिए) सार्वजनिक स्थल पर रखवाने की व्यवस्था सरकार एवं ग्रामीणों की मदद से की जा सकती है।

(छ) भारत सरकार के पत्रांक 32–7/2011/ए0डी0एम0–I दिनांक 16.01.2012 से निर्धारित एवं अद्यतन संशोधित मानदर (वर्ष 2010–2015 के लिए) प्राप्त हुआ जिसके आलोक में विभागीय पत्रांक 1293, दिनांक 17.04.2012 द्वारा अद्यतन संशोधित मानदर सभी संबंधितों को निर्गत किया गया है जिसका कृपया निर्देश किया जाय। इस मानदर में प्राकृतिक आपदा फायर (अग्निकांड) के लिए वर्त्तमान मानदर में अग्निकांड के पश्चात दी जानेवाली सहायता उसी प्रकार दी जाएगी जिस तरह अन्य अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात जीवन, अंग, **फसल**, संपत्ति इत्यादि की क्षति/हानि के मदों में निर्धारित है तथा साहाय्य की अनुमान्यता राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकार द्वारा सत्यापित की जाएगी।

(ज) अग्निकांड से राज्य के कृषकों के खेत में लगी फसल अथवा खलिहान में रखी गई फसल की क्षति की सी0आर0एफ0 से अनुमान्यता के संबंध विभागीय पत्रांक–1023 दिनांक–21.04.08 द्वारा निदेश भेजा गया है।

(झ) अग्निकांड की घटना घटित हो जाने पर विभागीय पत्रांक– 1293 दि0–17.04.2012 द्वारा निर्धारित मानदर के अनुसार प्रभावित व्यक्ति/परिवार को अविलम्ब साहाय्य मुहैया कराया जाय । अपने अधीनस्थ सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दें कि उनके क्षेत्र में जब कभी अग्निकांड हो, तो वे बिना कोई विलम्ब किये घटनास्थल पर अवश्य पहुँच कर राहत कार्य करें । अग्निकांड से पीड़ित परिवारों के बीच विभागीय पत्रांक–1376 दि0–27.04.2012 में निर्धारित मानदर के अनुरूप मुफ्त खाद्यान्न एवं नगद का वितरण करना सुनिश्चित करेंगे ।

(ञ) भीषण अग्निकांड से प्रभावित व्यक्तियों जिसमें काफी संख्या में झोपड़ियाँ/कच्चे मकान क्षतिग्रस्त होते है तथा जालमाल की गंभीर क्षति होती है वैसे प्रभावित परिवारों को विशेष राहत केन्द्रों में आवासित कराया जाय। भीषण अग्निकांड से प्रभावित व्यक्तियों के लिये विशेष राहत केन्द्रों के संचालन के संबंध में विभागीय पत्रांक 52 (प्र0) दिनांक–26.05.2012 एवं पत्रांक 1834 दिनांक–08.06.2012 द्वारा विस्तृत दिशानिदेश एवं मानदर सभी जिला पदाधिकारियों को भेजा गया है।

(ट) यदि राशि की आवश्यकता हो तो उसकी मांग आपदा प्रबंधन विभाग से तत्काल किया जाय । परन्तु किसी भी परिस्थिति में अग्निपीड़ित परिवारों को साहाय्य अनुदान समय पर मुहैया कराना सुनिश्चित कराया जाय । पारिवारिक लाभ योजना/झोपड़ी बीमा योजना एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी अग्निपीड़ितों को नियमानुसार दिलाया जाय ।

(ठ) मकान/ झोपड़ी की क्षति के लिये निर्धारित मानदर के अनुरूप सहायता उपलब्ध कराना है। ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा मुख्य सचिव, बिहार के हस्ताक्षर से निर्गत पत्रांक –2886 दि0–26.5.2005 के द्वारा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित बी0पी0एल0 परिवारों को पुनर्वासित करने हेतु जिला पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है । यदि पीड़ित परिवार इन्दिरा आवास प्राप्त करने की निर्धारित अर्हता रखते हैं तो इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत उन्हें भवन निर्माण कर पुनर्वासित किया जाना है ।

(ड) उपुर्यक्त निदेशानुसार साहाय्य कार्य सम्पन्न करने के पश्चात् अग्निकांड से हुई क्षति एवं किये गए साहाय्य कार्यो का विवरण संलग्न विहित प्रपत्र में जिला पदाधिकारी 24 घंटे के भीतर सरकार को प्रतिवेदित करेंगे ।

(ढ़) अत्यावश्यक एवं विशेष परिस्थितियों में यदि सरकारी सहायता एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, तो आपदा प्रबंधन विभाग से दूरभाष पर विभागीय पदाधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है ।

(ण) **सभी महत्वपूर्ण विभागीय परिपत्रों एवं अद्यतन मानदर से संबंधित पत्र सभी जिला पदाधिकारियों को पूर्व में उपलब्ध कराया जा चुका है, एवं विभागीय बेवसाईट www.disastermgmt.bih.nic.in पर उपलब्ध है। अगर संबंधित परिपत्र/पत्र/निदेश उपलब्ध न हों तो उसे विभाग के बेवसाईट से प्राप्त किया जा सकता है।**

अतः अनुरोध है कि आगजनी की घटना की रोकथाम एवं उसके घटित होने पर उपर्युक्त निदेशों के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय ।

अनु0– यथा उपर्युक्त ।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(व्यास जी)
प्रधान सचिव
आपदा प्रबंधन विभाग,
बिहार पटना,

ज्ञापांक – 954 /आ0प्र0 पटना–15, दि0– 6/3/13.

प्रतिलिपि : अनुलग्नक की प्रति सहित सभी प्रमंडलीय आयुक्तों/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव

प्रपत्र –I

प्रपत्र (अग्निकांड) भाग– 'अ'

जिला का नाम	प्रखंड का नाम	प्रभावित गॉवों की संख्या	प्रभावित परिवारो की संख्या	क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या			मृतकों /घायलों की संख्या			
				पूर्ण	आंशिक	योग	मनुष्य		पशु	
							मृत	घायलों की सं0	मृत	घायलों की सं0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

मुफ्त खाद्यान्न के लिए कुल राशि	कपड़ा/बर्तन के लिए कुल राशि	पूर्ण क्षतिग्रस्त मकानों के लिए कुल राशि	आंशिक क्षतिग्रस्त मकानों के लिए कुल राशि	अनुग्रह अनुदान मृतकों के लिए कुल राशि	घायलों के लिए अनुदान मद मे कुल राशि
12	13	14	15	16	17

प्रपत्र –II

वित्तीय वर्ष 2013 में अग्निकांड से हुई क्षति एवं वितरित साहायय संबंधी विवरणी –

जिला का नाम	प्रभावित प्रखंड का नाम	प्रभावित पंचायतों की सं0	प्रभावित गांवों की सं0	प्रभावित परिवारों की सं0	क्षतिग्रस्त मकानों की सं0			क्षतिग्रस्त मकानो का अनुमानित मूल्य	क्षतिग्रस्त सार्वजनिक क्षति का अनुमानित मूल्य (खाद्यान्न की)	मृतकों की संख्या		नगद अनुदान	वितरित अनुग्रह अनुदान
					पूर्ण	आंशिक	योग			मनुष्य	पशु		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

मुफ्त खाद्यान्न	चूड़ा	चना	गुड़	मोमबत्ती	दियासलाई	किरासन तेल	पॉलिथीन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रपत्र – III

ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक –2886 दि0–26.5.2005 के आलोक में प्राकृतिक आपदा (अग्निकांड) से जले मकानों एवं ऐसे जले मकानों के लिये उपलब्ध कराई गई इन्दिरा आवास की सूची वर्ष 2013

जिला का नाम –.....

प्राकृतिक आपदा (अग्निकांड) से जले मकानों की अंचलवार संख्या	प्राकृतिक आपदा (अग्निकांड) से जले मकानों के लिए निर्मित इन्दिरा आवास की संख्या		अभ्युक्ति
	स्वीकृत	निर्मित	
1	2	3	4

जिला पदाधिकारी का हस्ताक्षर